


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, धौलपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शा.शि. ग्रेड-111/सी.म/ वो-1 /2017-18 /दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राज कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111 भर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र (non tsp) के पदों हेतु नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त निम्नांकित सूची में आवंटित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111 को राजस्थान सिविल सेवा (धुनरीक्षित वेतन मान)नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल -10 में प्रोवेशन ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 रूपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111 के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Sel. Cat	Address	Posting place	Block	Candidate photo
1	2934	518854	NISHANT	SATISH GHANGHAS	14-Nov-94	OBC	VILLAGE LAKHANWAS POST SAGRA TEHSIL BHADRA HANUMANGARH PINCODE-335503 DISTT. HANUMANGARH	GOVT U.P.S. REHSENA(08080409301)	RAJAKHERA	

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्राक्खानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पैशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक-प.17(8)शिक्षा-2/2013 जयपुर दिनांक 15.11.2019 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार दिनांक 07.12.2019 को आयोजित परामर्श शिविर में पदस्थापन कर संबंधित संस्थाप्रधान को आदेशित किया जा रहा है कि इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अर्थियों का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सहाय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा इनके अभाव में किसी भी अर्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करावाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अर्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सतानों के फलस्वरूप कुल सतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/-रूपये को नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाये।

3. विवाहित अर्थियों के मामले में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजियन अनिवार्य करने संबंधी प्राक्खाना लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि में फिक्स रैमुनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महंगाई वेतन(डीपी),विशेष वेतन,बोनस आदि देय नहीं होगा।

5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि में इन्हे कलण्डर वर्ष में केवल 15 दिना का आकशमिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

वित विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रैमुनेशन से नवीन पैन्सन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

7. आवेदन पत्र के साथ सलग्न अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक आयु जाति आरक्षण सम्बन्धी व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्र की प्रति से मिलान कर उसकी एक-एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें कोई भिन्नता / संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करते हुये अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावे।

8. जो अर्थियों बी पी.ई.(तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के नियुक्ति के पात्र नहीं माने गये हैं। यदि कोई अर्थियों उक्त योग्यताधारी है तो संबंधित को कार्यग्रहण न कराया जाकर मूल आवेदन पत्र टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. यदि किसी अर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित संस्थ प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि किये जाने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही उन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।

10. अन्य पिछड़ा वर्ग का सहाय अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये महिला आवेदक के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है परन्तु अर्थियों अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावे। विपरीत परिस्थिति में इस कार्यालय को अवगत करावे।

11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अर्थियों का मूल आवेदन पत्र पर चरमा फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि नियुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही है जिसका आवेदन पत्र पर फोटो चरमा है।

12. चयनित अर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञापित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-111 भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अन्तर्गत रहेंगे।

13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अर्थियों ये शपथ पत्र लेवे की उसका द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली, अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अर्थियों से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।



श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक- शिविस/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शा.शि. ग्रेड-111/सी.म/ यो-1 /2017-18 /दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राज कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111।।। मर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र (non tsp) के पदो हेतु नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता प्राप्त निम्नांकित सूची में आवंटित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111।।। को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन मान)नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल -10 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिषीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 रूपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111।।। के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Sel. Cat	Address	Posting place	Block	Candidate photo
--------	-----------	----------	------	--------	-----	----------	---------	---------------	-------	-----------------


15 चयनित अर्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें।

16 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अर्थियों से कार्मिक विभाग की अधि सूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.02.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधि बयनबधिता(नन्दकमतजापदह) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

17 राज्य से बाहर की प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता वाले अर्थियों के अतिरिक्त पात्र उपरोक्त अर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक 20.12.2019 होगी। नियत अवधि में कार्यग्रहण न करने पर नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। संस्था प्रधान कार्यग्रहण की तत्काल सूचना इस कार्यालय को भिजवायेगे।

18 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड 111।।। सीधी परीक्षा-2018 में माननीय उच्च न्यायालय में विचारारब्ध विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयो के अध्याधीन होगी।


आदर्श आचार सहिता में राज्य चुनाव आयोग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति अनुसार उक्त आदेश जारी किये जा रहे है। नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.02.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचना सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस इनकी सेवा समाप्त की जावेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर

दिनांक :- दिनांक :- 18.02.2020

क्रमांक-जि.शि.अनुमा/घौ/संस्था/2019-20/शा0शि0अनुदेशक ग्रेड तृतीय/सी0म-2018/2019/1039
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक धौलपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैफळ
6. संबंधित संस्था प्रधान _____
7. संबंधित शा0शि0 अनुदेशक ग्रेड तृतीय _____
8. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर